(585)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट–III जयपुर दिनांक 11 JUN 2015

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश, दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 2.2.5 को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :--

"दिनांक 23.12.2009 से पूर्व की आवासीय योजनाओं, जिनके ले–आउट प्लान अथवा भवन मानचित्र उक्त तिथी से पूर्व अनुमोदन कर दिये गये है (चाहे मानचित्र जारी ना किये गये हो) उन पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जिन योजनाओं में उक्त दिनांक के पश्चात ले–आउट प्लान व भवन मानचित्र अनुमोदन किये जा रहे है, उनमें ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का आरक्षण अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के अनुसार सुनिश्चित करते हुये विभागीय पत्र क्र. प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट दिनांक 11.05.2011 के अनुसार निष्पादन की कार्यवाही की जावें।"

जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण/न्यासों द्वारा नियमानुसार आवंटन सुनिश्चित किया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सी. एस. भूथा)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
17/6/15